न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज टनकपुर, चम्पावत।
उत्तराखण्ड राज्य बनाम पप्पू राम

मु0अ0सं0–54/2022
धारा–279, 304ए, 427 भारतीय दण्ड संहिता 1860
थाना–बनबसा, जिला–चम्पावत

अभियुक्त– पप्पू राम, उम्र– 45 वर्ष, पुत्र श्री जयराम,
निवासी–ग्राम बरगोली चमदेवल गुमदेश,
थाना–पंचेश्वर, जिला–चम्पावत।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

दिनांक–23.06.2022

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान पी0एल0पी0 अधिवक्ता श्री यू0सी0डुंगरिया द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत करना चाहता है तथा सक्षम जमानती देने को तैयार है। अतः प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त को ताफैसला जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी से आख्या तलब की गई। अभियोजन द्वारा, अभियुक्त पर अभियोजित अपराध के जमानती होने का कथन करते हुए, जमानत का घोर विरोध किय जाने का कथन किया गया है।

3. उभय पक्ष को जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. अभियुक्त को सुनने एवं प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध जमानतीय प्रकृति का है तथा सुनवाई के दौरान अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए मामले के इस स्तर पर अभियुक्त को दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पप्पूराम का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को मु0 25,000–/(पच्चीस हजार रुपए) का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर, चम्पावत।